



कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी०टी० रोड, कानपुर।

पत्र संख्या:

/आई०आर०(सा०)(८)/२०२५

दिनांक

२०२५

कार्यालय-ज्ञाप

शासकीय अधिसूचना-1305/36-2-2022-8/2004-टी०सी० दिनांक 29 जून, 2022 की व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश राज्य के वैक्यूम पैन चीनी मिलों में कार्यरत समस्त श्रमिकों को परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 1960=100, माह-अगस्त, 2024, सितम्बर, 2024 एवं अक्टूबर, 2024 के औसत अंकों पर दिनांक 01.01.2025 से भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

अतः माह-अगस्त, 2024, सितम्बर, 2024 एवं अक्टूबर, 2024 के मूल्य सूचकांक क्रमशः 9374.29, 9420.29 एवं 9499.22 अंक हैं, इसका औसत 9431.00 अंक आता है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की वैक्यूम पैन चीनी मिलों में कार्यरत समस्त श्रमिकों को 01 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक 9431.00 अंकों पर परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता अनुमन्य है।

(घनश्याम सिंह)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या: 3784-88

/आई०आर०(सा०)(८)/२०२५

दिनांक 03-01-2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ को अवगत कराएं तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2. श्री दीपक गुप्तारा, महासचिव, उ०प्र० शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403 चिन्टल्स हाउस, 16 स्टेशन रोड, लखनऊ।
3. नोडल अधिकारी, आई०टी०सेल, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराये जाने हेतु।
4. पुस्तकालय अध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ।
5. उप श्रम आयुक्त, नजारत, मुख्यालय, कानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।

(घनश्याम सिंह)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।